



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112022-240542
CG-DL-E-24112022-240542

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5247]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2022/अग्रहायण 3, 1944

No. 5247]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2022/AGRAHAYANA 3, 1944

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

का.आ. 5476(अ).—केंद्रीय सरकार सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 तथा तब के भारत के आवास एवं निर्माण मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.अ. 720 दिनांक 10 मार्च, 1973 के अधिक्रमण में धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती हैं। यह अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों के संबंध में उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग एवं क्षेत्राधिकारी की स्थानीय सीमाएं
(2)	(2)
डॉ. सुनीष एस., आई.एफ.ए. (आंतरिक वित्तीय सलाहकार), राष्ट्रपति सचिवालय।	स्थानों में नई दिल्ली, शिमला (हिमाचल प्रदेश) एवं बोलारम, सिकंदराबाद (तेलंगाना) में स्थित राष्ट्रपति सम्पदा समाविष्ट हैं।

[मिसिल सं. डी-11037/1/2012-ई.बी.ए]

डॉ. राकेश गुप्ता, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th November, 2022

S.O. 5476(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 and in supersession of the then Government of India in the Ministry of Works and Housing Notification No. S.O.720 dated the 10th March, 1973, the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (1) of the Table below being a gazetted officer of the Government to be the Estate Officer for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act within local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in corresponding entry in column (2) of the said table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction.
(2)	(2)
Dr. Sunish S, IFA (Internal Financial Adviser), President's Secretariat.	Premises comprising the President's Estate in New Delhi, Shimla (Himachal Pradesh) and Bolarum, Secunderabad (Telangana).

[F. No. D-11037/1/2012-EBA]

Dr. RAKESH GUPTA, Jt. Secy. to the President